FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत .... मुकाम ....

.... बनाम ....

....

मुकदमा .... नं. .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	7/7/24 पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। Report प्राप्त पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 7/7/24 को प्रस्तुत हो। 7.7.24 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी — उपस्थित Report प्राप्त हो चुकी है वकील प्रार्थी के निवेदन पर बहस सुनी गई। पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 15.7.24 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर) 15/7/24 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251-A R.T. Act को स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर बाद हस्ताक्षर आज निर्णय सुनाया गया। पत्रावली नियमानुसार फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल रिकार्ड हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर)	

मेघसिंह

इसलिए प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुंत नजरी नक्शा के अनुंसार रास्ता दिये जाने पर खसरा नबंर जो सरकारी है इसके अलावा अन्य खसरा नबंर 486/1321 भी प्रभावित होता है । मगर प्रार्थी रास्ते की नितांत आवश्यकता को देखते हुए प्रश्नगत रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता

विद्वान अधिवक्ताओं की बहस एवं तहसीलदार खींवसर की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजरी ा का गहनता पूर्वक अध्ययन करने से यह भी स्पष्ट रूप से ताईद होता है की प्रश्नगत रास्ता अलावा अन्य सरकारी भूमि से रास्ता नहीं निकलता है । अतः ,प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251 अ आरटीएक्ट को स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार खींवसर को यह आदेश दिये जाते है कि :—

आदेश

अतः प्रार्थी श्री भैरूसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूरोहित निवासी भावण्डा के दारी की भूमि खसरा नबंर 481 वाके मौजा भावण्डा में आने जाने के लिए 15 फुट चौड़ा रास्ता खींवसर से मेड़ता सड़क से फंटकर खसरा नबंर 486 की पूर्वी माठ के सहारे सहारे पश्चिम में र खसरा नबंर 481 तक पहूचंता है जिसे संलग्न नक्शे में क ख ग चिन्ह के अनुसार 15 फुट रास्ता घोषित किया जाता है जिसका प्रभावित रकबा की डीएलसी दर की तीन गुनी राशि वेत रकबा खेत खसरा नबंर ख.न. 486 के प्रभावित रकबे की डीएलसी दर से तीन गुनी — /— की कुल प्रतिकर प्रार्थी से प्राप्त कर राजकोश में जमा करवानी है तथा खेत रा नबंर 486/1321 की प्रभावित रकबे की डीएलसी दर से तीन गुना राशि प्रार्थी से प्राप्त कर खातेदार को भुगतान कर उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन नजरी नक्शा अनुसार क ग के अनुसार 15 फुट चौडा रास्ता घोषित अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करने हेतु ीलदार खींवसर को आदेश दिये जाते है।

इस प्रकार उक्त राशि का भुगतान कर उक्त आदेश की पालना की जानी है। उक्त रास्ते किसी भी पक्षकारान का निजी स्वामित्व नहीं रहेगा । यह रास्ता एक सार्वजनिक रास्ता रहेगा सभी के लिए उपयोग उपभोग में काम आयेगा।

:— उपरोक्त खसरान पर किसी भी न्यायालय को स्थगन आदेश नहीं हो तो आदेष की पालना नियामानुसार करे।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर

आदेश आज दिनांक 15.07.2021 को सरेइजलास सुनाया गया।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर